

नागरिक चार्टर

भारी उद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन , नई दिल्ली

विजन:

मंत्रालय के अधीन आधुनिक, स्वस्थ और मजबूत ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल एवं केपिटल गुड्स सेक्टरों और आत्मनिर्भर एवं विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रखना

मिशन:

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) का लक्ष्य अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम खड़े करने के साथ-साथ रुग्ण और घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन और पुनरूद्धार करना है।

भारी उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं परीक्षण अवसंरचना का सृजन करते हुए वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता हासिल करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है।

भारी उद्योग मंत्रालय ऑटो, भारी इंजीनियरिंग, भारी इलेक्ट्रिकल और पूंजीगत सामग्री क्षेत्र को आवश्यक समर्थन प्रदान करते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है।

सेवाएं:

मंत्रालय नागरिकों को कुछ सेवाएं प्रदान करता है जैसे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करना, शिकायतों का निवारण और आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्रदान करना। मंत्रालय इसके तहत विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों, औद्योगिक संघों, सांविधिक निकायों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ भी बातचीत करता है।

मुख्य सेवाएं/लेनदेन:

नागरिकों के लिए सेवाएं:						
क्र. सं.	सेवाएं	वज़न	जवाबदेह व्यक्ति, ईमेल, फ़ोन न.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज़	फीस
1	ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन की खरीद के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करना dhigecs.heavyindustry.gov.in	10.0	श्री रजनीश सिंह, निदेशक ईमेल: rajnesh.singh02@gov.in फ़ोन न. 011-23063707	1. जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना पोर्टल पर आवेदन की ऑनलाइन रसीद। 2. पोर्टल में अपलोड किए गए जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों की जांच 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 4. प्रमाण पत्र का ऑनलाइन जारी करना	1. ऑनलाइन पोर्टल में जमा की जाने वाली सामान्य जानकारी विधिवत भरी हुई हो। 2. चिकित्सा प्रमाण पत्र / विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना। 3. आधार कार्ड ऑनलाइन अपलोड करना। 4. पैन कार्ड ऑनलाइन अपलोड करना। 5. ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्व-घोषणा।	लागू नहीं

2	शिकायतों का निवारण	10.0 श्री मदन पाल सिंह, संयुक्त निदेशक ईमेल: madanpal.singh@nic.in फ़ोन न. 011-23063321	1. सीपीजीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायत 2. भारी उद्योग मंत्रालय में संबंधित सीपीएसई/अनुभाग में भेजना। 3. संबंधित अधिकारियों से इनपुट प्राप्त करने के लिए 4. संबंधित व्यक्ति को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजना 5. सीपीजीआरएमएस पोर्टल पर अद्यतनीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आरटीआई आवेदन (यह सेवा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से प्रदान की जाती है)	10.0 भारी उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/अपील प्राधिकारियों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.dhi.nic.in)	1. सीपीआईओ के पास आरटीआई के तहत आवेदन की प्राप्ति या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील 2. यदि आवश्यक हो तो धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग/सीपीएसई को आवेदन का स्थानांतरण 3. धारा 5(4) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों/सीपीआईओ को आवेदन अग्रेषित करना 4. आवेदक को सूचना भेजना 5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील का निपटारा	डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / भारतीय पोस्टल ऑर्डर पी एंड एओ, एमएचआई या डीडीओ, एमएचआई के पक्ष में नई दिल्ली में देय या रसीद के लिए नकद। प्रत्येक आरटीआई आवेदन के लिए 10/- रुपये और गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक के लिए कोई शुल्क नहीं। दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोधित शुल्क @ रु.2/- प्रति पृष्ठ या दस्तावेज की वास्तविक लागत। अभिलेखों की जाँच के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं। शुल्क @ रु. 5/- प्रत्येक बाद के घंटे या उसके भाग के लिए।	
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/स्वायत्त निकायों/औद्योगिक संघों आदि के साथ लेनदेन:					
4.	प्रशासनिक वित्तीय और अन्य प्रकार के प्रस्तावों पर निर्णय	10.0 प्रभारी निदेशक/उप सचिव जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। यदि आवश्यक हो तो कैबिनेट नोट आदि का मसौदा तैयार करना 2. अंतर-मंत्रालयी परामर्श, यह आवश्यक है। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना 4. अंतिम आदेश/नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी करना।	प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज	लागू नहीं

<p>5. पूंजीगत सामान क्षेत्रों अर्थात हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में 'परियोजना आयात योजना' के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें।</p>	<p>10.0</p>	<p>प्रभारी निदेशक/उप सचिव</p> <p>जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति। 2. आवेदन की जांच। 3. तकनीकी विंग की सलाह प्राप्त करना। 4. अंतिम आदेश जारी करना। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की प्रति। 2. कारखाने का नक्शा। 3. आयात की जाने वाली मशीनरी/उपकरण का विवरण। 4. परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों से प्राप्त मंजूरी की प्रतियां। <p>(विवरण/आवेदन के प्रारूप और आवश्यक दस्तावेजों के लिए, कृपया वेबसाइट देखें : www.dhi.nic.in)</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>6. एमएचआई के तहत नैट्रिप, सीपीएसई, स्वायत्त निकायों और संबंधित औद्योगिक संघों से संदर्भों पर निर्णय: क) भारी विद्युत इंजीनियरिंग बी) भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स ग) ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग</p>	<p>10.0</p>	<p>प्रभारी निदेशक/उप सचिव</p> <p>जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्ताव की जांच। 2. अंतर-मंत्रालयी परामर्श, यह आवश्यक है। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना 4. अंतिम आदेश जारी करना। 	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>7. फिम-इंडिया के तहत मांग प्रोत्साहन।</p>	<p>10.0</p>	<p>श्री आनंद कुमार सिंह</p> <p>ईमेल: aksingh5.ofb@ofb.gov.in</p> <p>फ़ोन न. 011-23063176</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से ऑनलाइन दावों की प्राप्ति। 2. प्रस्तुत दावों की जांच। 3. इस उद्देश्य के लिए गठित समिति का अनुमोदन। 4. पीएफएमएस मोड का उपयोग करते हुए एमएचआई/एनएबी द्वारा दावों को जारी करना। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओईएम का पंजीकरण। 2. परीक्षण एजेंसी से परीक्षण प्रमाण पत्र। 3. मॉडलों का पंजीकरण। 4. विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रोफार्मा में ग्राहक की पावती। 5. व्यक्तिगत भागीदारी एजेंसियों के लिए पेन कार्ड की प्रति, सरकार से खरीद आदेश। विभाग/रक्षा आपूर्ति, जैसा भी मामला हो। 	<p>लागू नहीं</p>

				6. प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित ओईएम द्वारा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करना।	
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों/सांविधिक संगठनों के साथ लेनदेन :					
8. परियोजना विकास प्रकोष्ठ और निवेश से संबंधित नीतिगत मामलों और व्यक्तिगत संदर्भों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों/ राज्य सरकारों/सांविधिक संगठनों से प्राप्त संदर्भों पर टिप्पणियों को प्रस्तुत करना	10.0	प्रभारी निदेशक/उप सचिव जानकारियां वेबसाईट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। 2. संबंधित अधिकारियों/सीपीएसई से इनपुट प्राप्त करना। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना 4. टिप्पणियों की प्रस्तुति।	लागू नहीं	लागू नहीं
9. निम्न के लिए प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना क) कर छूट योजना के तहत कच्चा माल/ घटक का आयात ख) प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात	10.0	प्रभारी निदेशक/उप सचिव जानकारियां वेबसाईट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। 2. तकनीकी विंग की सलाह प्राप्त करना। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना 4. अंतिम आदेश जारी करना।	लागू नहीं	लागू नहीं
10. सीपीएसईज की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए मामलों को अन्य अधिकारियों तक ले जाना और अन्य मंत्रालयों/विभागों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों पर सीपीएसईज के साथ मिलकर अनुवर्ती कार्रवाई करना	10.0	प्रभारी निदेशक/उप सचिव जानकारियां वेबसाईट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। 2. संबंधित सीपीएसई/अन्य प्राधिकरणों को संदर्भ देना। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना 4. टिप्पणियों की प्रस्तुति।	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानकों की आवश्यकता:

नागरिकों के लिए सेवाएं:							
क्र. सं.	सेवाएं	सेवा भार	सफलता संकेतक	सेवा मानक	यूनिट	वजन	डेटा स्रोत
1.	आर्थोपेडिक शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन की खरीद के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करना	10.0	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख
2.	शिकायतों का निवारण (सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायत)	10.0	स्वीकृति जारी करना		कार्य दिवस	02	अभिलेख
			आवेदन का ऑनलाइन ट्रांसफर		कार्य दिवस	02	
			कृत कार्रवाई की रिपोर्ट भेजना	30	कार्य दिवस	04	
			अपील का निपटान, यदि कोई हो।	30	कार्य दिवस	02	

3.	आरटीआई आवेदन (यह सेवा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से प्रदान की जाती है)	10.0	अन्य विभागों में आवेदन को भेजना	05	कार्य दिवस	2.0	
			आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाले संचार को जारी करना	30	कार्य दिवस	5.0	
			प्रथम अपील का निपटान	30	कार्य दिवस	3.0	

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/स्वायत्त निकायों/औद्योगिक संघों आदि के साथ लेनदेन:

क्र. सं.	लेनदेन	सेवा भार	सफलता संकेतक	सेवा मानक	यूनिट	वजन	डेटा स्रोत
4.	प्रशासनिक, वित्तीय और विविध प्रकार के प्रस्तावों पर निर्णय। वस्तु।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख
5.	पूँजीगत सामान क्षेत्रों अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में 'परियोजना आयात योजना' के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें।	10.0	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय।	30	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख
6.	एमएचआई के तहत नैट्रिप, सीपीएसई, स्वायत्त निकायों और संबंधित औद्योगिक संघों से संदर्भों पर निर्णय: क) भारी विद्युत इंजीनियरिंग बी) भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स ग) ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग	10.0	अधिकतम समय पूर्ण की प्राप्ति की तिथि से लिया गया प्रस्ताव / संदर्भ	90	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख
7.	फेम-इंडिया के तहत मांग प्रोत्साहन।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव / संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों/सांविधिक संगठनों के साथ लेनदेन :

8.	परियोजना विकास प्रकोष्ठ और निवेश से संबंधित नीतिगत मामलों और व्यक्तिगत संदर्भों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/सांविधिक संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत करना	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय।	30	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख
9.	निम्न के लिए प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना (क) कर छूट योजना के तहत कच्चा माल/ घटक का आयात (ख) प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय।	30	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख
10	सीपीएसईज की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए मामलों को अन्य अधिकारियों तक ले जाना और अन्य मंत्रालयों/विभागों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों पर सीपीएसईज के साथ मिलकर अनुवर्ती कार्रवाई करना	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने और टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	60	कार्य दिवस	10.0	अभिलेख

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं:

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षाएं
1.	प्रशासनिक, वित्तीय और विविध मुद्दों पर प्रस्ताव मानदंडों के अनुसार होने चाहिए।
2.	भारी उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/औद्योगिक संघों/स्वायत्त निकायों से नियमित प्रतिक्रिया
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/औद्योगिक संघों आदि द्वारा समय पर रिपोर्ट/रिटर्न प्रस्तुत करना।
4.	विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वाहन की खरीद के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन।
5.	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / संगठनों / औद्योगिक संघों , आदि से प्राप्त प्रस्ताव आत्मनिहित और सभी प्रकार से पूर्व होने चाहिए
6.	फेम इंडिया के तहत मांग प्रोत्साहन के संबंध में पंजीकृत मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के आवश्यक विवरणों सहित पूर्ण आवेदन।

शिकायत निवारण तंत्र:

लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी.

श्री मदन पाल सिंह,
संयुक्त निदेशक
भारी उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110 011.

फोन नं. 011- 23062515,
ईमेल: madanpal.singh@nic.in

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

सेवा प्राप्तकर्ता शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं <http://pgportal.gov.in>.

शिकायतकर्ता से अपेक्षा

1. शिकायत का विषय स्पष्ट होना चाहिए और सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए
2. शिकायतकर्ता का पूरा पता और टेलीफोन नंबर, ईमेल पता दर्शाया जाना चाहिए।
3. यदि विषय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/स्वायत्त निकाय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है तो शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकारी को संबोधित की जा सकती है।

प्रतिक्रिया के लिए समयरेखा

1. सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के लिए ई-पावती - तत्काल
2. अतिरिक्त जानकारी के लिए संचार, यदि आवश्यक हो - 15 कार्य दिवसों के भीतर।
3. कृत कार्यवाही रिपोर्ट - 30 कार्य दिवसों के भीतर

हितधारकों / ग्राहकों की सूची:

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक विवरण
1.	कार की खरीद पर जीएसटी रियायत की मांग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) करने वाले।
2.	एमएचआई/आरटीआई आवेदकों को जन शिकायत भेजने वाले व्यक्तित्व
3.	'परियोजना आयात योजना' के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर की अनुदान की मांग करने वाली कंपनियां/फर्म।

4.	भारी उद्योग मंत्रालय के तहत सीपीएसई और स्वायत्त निकाय।
5.	फेम योजना चरण II (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को तेजी से अपनाना) के तहत पंजीकृत मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)
क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक विवरण
6.	औद्योगिक संघ (i) ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, (एसीएमए) (ii) सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, (सियाम) (iii) इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, (आईईईएमए) (iv) औद्योगिक क्षेत्र निर्माता संघ, (आईएएमए) (v) ट्रेक्टर निर्माता संघ, (टीएमए) (vi) इंडियन मशीन टूल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, (आईएमटीएमए) (vii) इंडियन टेक्सटाइल एक्सेसरीज एंड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, (आईटीएमएमए) (viii) टेक्सटाइल मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया), (टीएमएमए) (ix) इंडियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड एलाइड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, (आईपीएमएमए) (x) प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन, (पीपीएमआई) (xi) भारतीय उद्योग परिसंघ, (सीआईआई) (xii) एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, (एसोचैम) (xiii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, (फिक्की)
7.	केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय कार्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संवर्धन विभाग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लोक उद्यम विभाग, रेल मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीपम) आदि के विभाग।
8.	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम और पता
(i)	एंड्रयू यूल एंड कंपनी, यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001
(ii)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हाउस, सिरी फोर्ट, एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली-110049
(iii)	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001*
(iv)	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, बेडराडका पोस्ट, कासरगोड-671124, केरल
(v)	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद-211010
(vi)	रिचर्डसन एंड क्रूड्स लिमिटेड, भायखला आयरन वर्क्स, पीबी नंबर 4503, सर जेजे रोड, मुंबई-400 008
(vii)	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला। बेल्लारी, तुंगभद्रा बांध - 583225
(viii)	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, 5वीं मंजिल, कांकरिया सेंटर, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता 700071
(ix)	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(x)	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) लिमिटेड, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(xi)	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूबी बिल्डिंग, 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016
(xii)	नागालैंड पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन, पीओ पेपर नगर, जिला मोकोकचुंग, नागालैंड-798623
(xiii)	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर, जिला कोट्टायनम केरला -686616
(xiv)	एचएमटी लिमिटेड 59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560032
(xv)	एचएमटी (आई) लिमिटेड, 59 बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560032
(xvi)	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560032
(xvii)	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560032
(xviii)	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर-560032
(xix)	एचएमटी चिनार वॉचेस, जैनाकोट, श्रीनगर-190017
(xx)	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, 9, एल्गिन रोड, कोलकाता-700020

(xxi)	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017
(xxii)	सांभर साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017
(xxiii)	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302012, राजस्थान
(xxiv)	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट प्लाजा रोड, पीओ धुरवा, रांची - 834004
(xxv)	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इंदु नगर, ऊटाकामुंड -643005 तमिलनाडु
(xxvi)	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, झालावाड़ रोड, कोटा-5, राजस्थान -324005
(xxvii)	नेपा लिमिटेड, नेपा नगर-450221, मध्य प्रदेश
(xxviii)	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, पीओ बॉक्स नंबर 1, लखनऊ-226008
(xxix)	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, यूल हाउस, 8, डॉ राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001